

Fax/Speed Post
Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....14/5/2017

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,
लखीसराय, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर,
भोजपुर (आरा), नालन्दा, पटना, वैशाली एवं पूर्णियाँ
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक : 12/9/2017

विषय :-

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 -
सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का
पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आपके अधीनस्थ कार्यालय को उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 6,65,69,208/= (छः करोड़ पैंसठ लाख उनहत्तर हजार दो सौ आठ) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

- 2.. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 688 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- 3 अनुसंधान है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/मॉड संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. यह आवंटन आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय होने वाली वेतनादि मद एवं अन्य मद के लिए निर्गत किया जाता है।
6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....14/3/2017 पटना, दिनांक 12/9/2017

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

निबंधित

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....14/3/2017 पटना, दिनांक 12/9/2017

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर (आरा), नालन्दा, पटना, वैशाली एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....14/3/2017 पटना, दिनांक 12/9/2017

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....14/3/2017 पटना, दिनांक 12/9/2017

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

शु-अभिलेख एवं परिभाषा निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष - 2029 - शु-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन :-

क्र०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01	01 03	01 04	01 05	01 06	01 07	02 01	11 01	13 01	13 04	13 06	13 10	14 01	28 02	कुल योग
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	भकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	विक्रिस्ता भत्ता	अन्य भत्ता	मजदूरी	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	वर्दी पोशाक	भाडे की गाड़ी का गुणात्मन	किराया महसूल एवं कर	संवित्त सेवाएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	लखीसराय	5000000	300000	100000	150000	24000	—	100000	—	107590	—	—	—	—	—	5681590
2	सहरसा	—	—	—	—	—	—	100000	—	—	—	—	—	—	—	100000
3	खगड़िया	7000000	420000	150000	—	91200	10000	100000	—	—	—	—	—	—	3500000	11271200
4	बैतुसराय	—	—	—	—	—	15000	—	—	600000	—	—	1800000	—	—	2415000
5	मुंगेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500000	1500000
6	भोजपुर (आय)	2171400	200000	50000	—	8600	3000	—	20000	130000	50000	10000	—	15000	—	2658000
7	नालन्दा	2000000	120000	200000	5200	20000	—	—	20000	—	—	20000	391500	—	2000000	4776700
8	पटना	6000000	360000	600000	110000	49600	16800	—	—	30000	—	25000	—	—	—	7191400
9	केशवाती	865000	—	100000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	965000
10	पूर्वार्ध	3200000	258108	40000	—	38400	5400	—	—	400000	—	—	—	—	—	3941908
11	शु-अभिलेख एवं परिभाषा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500000	—	—	—	25569410	26068410
कुल योग		26236400	1658108	1240000	265200	231800	50200	200000	40000	1267590	550000	55000	2191500	15000	32568410	66569208

(छ: करोड़ पैंसठ लाख उनहतर हजार दो सौ आठ रूपये मात्र)

(श्रीरंज कुमार मिश्र),
निदेशक,
शु-अभिलेख एवं परिभाषा,
बिहार, पटना